

राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर

आदेश

एकलपीठ दीवानी विविध अपील नं. 4132/2012

रविन्द्र कुमार

बनाम

अरुण कुमार व अन्य

आदेश दिनांक :

11.07.2018

माननीय न्यायाधिपति श्री बनवारीलाल शर्मा

श्री परमेन्द्र दाधीच, अधिवक्ता वास्ते,
श्री रजत रंजन, अधिवक्ता-अपीलार्थी की ओर से।
वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आर के माथुर मय
श्री आदित्य माथुर, अधिवक्ता-प्रत्यर्थीगण की ओर से।

वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आर के माथुर ने प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित होकर निवेदन किया है कि प्रोबेट जारी होने के पहले जो सम्पत्ति रिसीवर के पास थी, उसका कब्जा प्रत्यर्थीगण को प्राप्त हो चुका है। वे इस संबंध में आवेदन मय दस्तावेज अभिलेख पर पेश कर बहस करना चाहते हैं। अतः अवसर दिये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थनानुसार अवसर दिया जाता है। प्रकरण दो सप्ताह बाद पुनः सूचीबद्ध किया जावे।

(बनवारी लाल शर्मा)
न्यायाधिपति